न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 47 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 28.09.2022

मीठालाल पुत्र बद्रीलाल दत्तक पुत्र राजाराम जाति मीणा निवासी फिरोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

शकंर पुत्र भुवाना जाति बैरवा निवासी फिरोजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार उनियारा दिनांक 09.02.2022 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी शकंर बनाम मीठालाल

उपस्थिति : (1) श्री भागचन्द बैरवा,अभिभाषक अपीलांट
(2) श्री गजेन्द्र शर्मा,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 03.09.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 02.09.2022 को अपीलाण्ट को आराजी खसरा नंबर 691 रकबा 0.70 है. वाके ग्राम फिरोजपुरा पर अपीलाण्ट का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि खसरा नम्बर 691 रकबा 0.70 है. वाके फिरोजपुरा को शंकर बैरवा ने मेरे पूर्वजो को बेचान किया था, इस वजह से मेरा कोई अतिक्रमण नहीं है। बेनामे की फोटो प्रति पेश की है। अपीलांट मीणा जाति का होने से अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। अपीलांट ने भूलचंद मीणा, कैलाश मीणा व रमेश धाकड के दिनांक 05.10.2020 को बयान करवाकर अपना बेचान के आधार पर कब्जा होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट द्वारा द्वारा 183 बी के तहत अपनी खातेदारी की भूमि बताकर आवेदन प्रस्तुत किया था,जबकि वास्तविकता मे प्रार्थी/ रेस्पोडेण्ट उक्त आवेदन मे वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात का अकेला खातेदार नही है और खसरा नम्बर 691 रकबा 0.70 है. भूमि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ने अपनी होना बताया है, जबकि उक्त भूमि चार खातेदारान के नाम है,अन्य तीन खातेदार को आवेदन मे पक्षकार नही बनाया है और न ही उन खाततेदारो को सुना गया है,उसके उपरांत भी अधीनस्थ

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय ने अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है,जबकि काननून रूप से सभी खातेदार प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार थे,उनके अभाव मे उक्त आवेदन चलने योग्य नहीं था,लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दू को नजर अन्दाज कर उक्त आदेश पारित किया है। प्रकरण मे यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट ने दिनांक 21.05.1995 को सम्वत 2052 मे आराजी खसरा नम्बर 691 रकबा 0.70 है. भूमि रिकार्डेड खातेदार से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था और उसके पूर्व अपीलांट के पिता राजाराम का कब्जा एंव मालिकाना हक चला आ रहा था, उक्त तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है और स्वंय आवेदक ने भी अपीलांट के पक्ष में लिखावट को स्वीकार किया है और प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट इसको बेदखल करने बाबत न तो कोई लिखित मे नोटिस दिया है, मात्र बनावटी तथ्य लिखकर आवेदन प्रस्तुत किया है, धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट मे यह स्पष्ट रूप से प्रावधित है कि उक्त आवेदन 12 वर्ष की अवधि के भीतर किया जा सकता है। 12 वर्ष की मियाद के बाद आवेदन चलने योग्य नही होता, लेकिन उक्त प्रकरण मे तो सन् 1995 से अर्थात 27 वर्ष के बाद उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया अर्थात काननून अवधि वर्ष 2007 मे ही समाप्त हो चुकी थी। आवेदन मियाद बाहर है,उक्त मियाद को किसी भी प्रकार से कण्डोन नही किया जा सकता,लेकिन उसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दू को नजर अन्दाज करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है।तहसीलदार उनियारा द्वारा उक्त आराजीयात का ना तो मौका देखा गया है और ना ही मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई और न ही साक्ष्य एकत्रित किये गये है। बिना साक्ष्य सबूत के ही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस मे कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट का नाजायज कब्जा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति के सदस्य है। धारा 183 बी के प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लोगो के हित मे सरसरी जांच करके तुरन्त सहायता दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये है। अपीलांट ने रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि पर अमरूद के पोधे तथा उडद,चरी एंव मूंगफली की फसल काश्त कर कब्जा/अतिक्रमण कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2074–77 वाके ग्राम फिरोजपुरा तहसील उनियारा मे आराजी खसरा नम्बर 691 रकबा 0.7000 है. भूमि अन्य सहखातेदारो के साथ रेस्पोडेण्ट की खातेदारी मे भी दर्ज है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर अतिकमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल करने का आदेश पारित किया हैं।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अपीलांट ने दिनांक 21.05.1995 को (सम्वत 2052) मे आराजी खसरा नम्बर 691 रकबा 0.70 है. भूमि रिकार्डेड खातेदार से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था,परन्तु नकल जमाबंदी सम्वंत 2074–77 वाके ग्राम फिरोजपुरा तहसील उनियारा मे आराजी खसरा 691 रकबा 0.7000 है. भूमि किस्म बारानी–2 सह खातेदारान के साथ ही रेस्पोडेण्ट के नाम भी दर्ज है और दिनांक 21.05.1995 का विक्रय पत्र रजिस्टर्ड भी नही है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को अनुसूचित जनजाति

जिला कलेक्टर

वाला व्यक्ति नियमानुसार क्रय नही कर सकता है (संयुक्त शासन सचिव वित्त(कर)विभाग जयपर के पत्र कमांक पं.2(26)वित्त/कर/2019 जयपुर दिनांक 03.12.2021 मे अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा अपने से भिन्न जाति के व्यक्ति के पक्ष मे अपनी कृषि भूमि के किसी भी रीति से किये गये अन्तरण पट्टे/उपपट्टे एंव विनिमय को प्रतिबंधित किया गया है का उल्लेख है) तथा पटवारी हल्का मण्डावरा की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजी पर अपीलांट द्वारा अमरूद के पोधे तथा उडद,चरी एंव मूंगफली की फसल काश्त कर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना सिद्व है।

अपीलांट द्वारा रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 691 रकबा 0.70 है. वाके ग्राम फिरोजपुरा पर अमरूद के पोधे तथा उडद,चरी एंव मूंगफली की फसल काश्त कर अतिक्रमण करना पटवारी हल्का मण्डावरा कि रिपोर्ट से जाहिर है तथा इससे सिद्व है कि अपीलांट रेस्पोडेण्ट की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। अपीलाण्ट अनुसूचित जनजाति एंव रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त विवेचन से अपीलाण्ट का रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा/अतिक्रमण है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 09.02.2022 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक